सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 139/2014

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. फूमा पत्नि सुखदेव
2. नन्दलाल पुत्र सुखदेव
3. रामगोपाल पुत्र सुखदेव
4. रामधन पुत्र सुखदेव
5. जगदीश पुत्र सुखदेव
6. रामकरण पुत्र सुखदेव
7. रामेश्वर पुत्र सुखदेव

समस्त जाति तेली निवासी कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. कमला देवी पत्नि बरदा
2. रामस्वरूप पुत्र बरदा
3. दुर्गालाल पुत्र बरदा
4. छोटूलाल पुत्र बरदा
5. प्रेम देवी पुत्री बरदा
6. लाली पुत्री बरदा

   समस्त जाति तेली निवासी कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर
7. तहसीलदार भू.अभि.एवं उपपजीयक केकडी

प्रतिवादीगण–––

8. स्टेट बैकं ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर केकडी जर्ये शाखा प्रबन्धक
9. पंजाब नेशनल बैंक केकडी जर्ये शाखा प्रबन्धक

प्रफॉर्मा प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,209,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–25.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188,209,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता नम्बर 129 में वर्णित आराजी कुल किता खसरान नम्बर 12 कुल रकबा 13.2500 हैक्ट. भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा, तथा प्रतिवादी 1 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से आराजीयात पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। वाद वर्णित आराजी में खसरा नं. 529 कुआ है जिससे सभी संयुक्त रूप से पिलाई करते है साथ ही खसरा नम्बर 527 व 528 में मौके पर रास्ता भी है जिससे खसरा नम्बर 526, 527, 528 में होते हुए कुंआ खसरा नम्बर 529 में तथा आराजीयात में आया–जाया जाता है। आराजीयात का बंटवारा नही होने के कारण प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 529 से वादीगण को अपने खेतों की पिलाई करने में बाधा उत्पन्न करते है एवं पिलाई नही करने देते है एवं खसरा नम्बर 527 व 528 पर जो मौके पर रास्ता है उसे लकडिया आदि डालकर बंद करना चाहते है। प्रतिवादीगण आराजीयात के हिस्से विशेष पर कब्जा करना चाहते है एवं अवैध रूप से आराजीयात के अधिक उपजाउ व अधिक कीमती हिस्से को बैचान करना चाहते है एवं मना करने पर लडाई–झगडा करने पर आमादा है जिसके कारण वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य 1/2–1/2 हिस्सों में बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण 2,3,4 स्वयं उपस्थित एवं प्रतिवादी 8 के प्रतिनिधि उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से श्री हेमन्त जैन अधिवक्ता ने पावर पेश किया। प्रतिवादी 1 अनपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री बद्रीविशाल दाधीच अधिवक्ता ने पावर पेश किया। दिनांक 7.11.17 को प्रतिवादीगण को जवाब हेतु अन्तिम मौका दिया गया । पत्रावली में दिनांक 10.4.18 तक भी जवाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार में पेश हुयी। हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी होने से वादी का वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2067–70 के खाता नम्बर 129 में वर्णित आराजी कुल किता खसरान नम्बर 12 कुल रकबा 13.2500 हैक्ट. भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा, तथा प्रतिवादी 1 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा है। भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव कब्जे अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी